Order Sheet [Contd]

Cases No-............of 20.....

Date of order of Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13-10-2022	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से कार्यविभाजन पत्रक अनुसार मेरे समक्ष पेश। आवेदक राहुल पिता राजकुमार सहित अधिवक्ता श्री पवन कुमार मिश्रा उपस्थित। राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ उपस्थित । प्रकरण आज आवेदक की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन अंतर्गत धारा 457 द0प्र0सं पर तर्क एवं केस डायरी मय प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु नियत है। आवेदक की ओर से वाहन का रजिस्ट्रेशन की मूल प्रति पेश की है। आरक्षी केन्द्र देवरी से अप क्रमांक 510/22 अंतर्गत धारा 34(2) म0प्र0 आबकारी अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन आरक्षक वीरेन्द्र ठाकुर नंबर 1628 द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। उक्त आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये। आवेदक द्वारा उक्त आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 457 द0प्र0सं0 इस आधार पर पेश किया कि, आवेदक के स्वामित्व का वाहन हुन्डई एक्सेन्ट कार पंजीयन कमांक एम पी 04 केजी 3186 को पुलिस थाना देवरी द्वारा मय दस्तावेज के जप्त कर लिया है। आवेदक वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उसे वाहन की निजी उपयोग हेतु आवश्यकता है। वाहन थाना परिसर में खुले में रखा होने से उसके खराब होने की संभावना है। जप्तशुदा कार में किसी प्रकार की शराब की जप्ती नहीं हुई है तथा वर्तमान में जप्तशुदा कार के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई राजसात की कार्यवाही लंबित नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को वाहन अंतरिम सुपुर्दगी पर प्रदान किय जाने की अनन्य अधिकारिता प्राप्त है। वह वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात न तो कय विकय करेगा न खुर्द बुर्द करेगा ना ही रंग–रूप में परिवर्तन करेगा। अतः जप्तशुदा वाहन हुन्डई एक्सेन्ट कार पंजीयन कमांक एम पी 04 केजी 3186 को मय दस्तावेज सुपुर्दगी पर प्रदान करने का निवेदन किया है। केस डायरी व संलग्न प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन पर पाया कि थाना देवरी के	प्राप्त CP 1628

Date of order of Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अपराध क्र 510/22 अंतर्गत धारा 34(2) में अभियुक्त जगदीश विश्वकर्मा पिता राजकुमार विश्वकर्मा निवासी महाराजपुर से उक्त वाहन हुन्डई एक्सेन्ट कार पंजीयन क्रमांक एम पी 04 केजी 3186 जप्त की गयी है। पुलिस प्रतिवेदन अनुसार जप्तशुदा वाहन की राजसात की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक के माध्यम से केक्टर महोदय को पत्र भेजा जाना बताते हुए सुपुर्दनामा आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण के अवलोकन से दृष्टिगत है कि, प्रकरण में दिनांक 12.10.22 को संबंधित आरक्षी केन्द्र से जप्तशुदा वाहन हुन्डई एक्सेन्ट कार पंजीयन क्रमांक एम पी 04 केजी 3186 की राजसात की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से पत्र भेजे जाने तथा राजसात की कार्यवाही प्रस्तावित होने के संबंध में राजसात कार्यवाही के प्रकरण क्रमांक सहित केस डायरी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आरक्षी केन्द्र देवरी से जप्तशुदा वाहन की राजसात कार्यवाही के संबंध में कोई प्रतिवेदन या राजसात कार्यवाही की सूचना या राजसात कार्यवाही का प्रकरण क्रमांक पेश नहीं किया गया है। प्रतिवेदन के साथ थाना प्रभारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पत्र संलग्न है, किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है जिससे यह समाधान हो कि जप्तशुदा वाहन के संबंध में राजसात कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। इस प्रकम तक कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी के द्वारा धारा 47ए(3)(ए) आबकारी अधिनियम के अंतगत राजसात के संबंध में सूचना भी इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। केस डायरी के अवलोकन व आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र व बीमा की ऑनलाईन प्रति के अवलोकन पर प्रतीत होता है कि जप्तशुदा वाहन हुन्डई एक्सेन्ट कार पंजीयन क्रमांक एम पी 04 केजी 3186 आवेदक राहुल विश्वकर्मा पिता राजकुमार विश्वकर्मा निवासी हनुमान मंदिर के पास वंदना नगर भोपाल उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। किन्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन पत्र व आधार कार्ड में आवेदक का पता महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर का लेख है जिससे आवेदक के निवास स्थान में भिन्नता दर्शित है। उक्त संबंध में आवेदक	

Order Sheet [Contd]

Cases No-...........of 20.....

Date of order of Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	राहुल द्वारा इस आशय का स्वयं का शपथपत्र पेश किया है कि, आवेदक वाहन क्रय करते समय वह भापोल में सुनीता पटैल के मकान हनुमान मंदिर के पास वंदना नगर भोपाल में निवास करता था इस कारण वाहन के रजिस्ट्रेशन व उसके वर्तमान निवास स्थान में भिन्नता है। उक्त वाहन से 54 बल्क लीटर शबरा अवैध रूप से परिवाहन करने के अपराध में जप्त किया गया गया है किन्तु जप्तशुदा वाहन की राजसात किये जाने की कार्यवाही के संबंध में कोई सूचना न्यायालय को प्राप्त नहीं है ना ही राजसात की कार्यवाही के प्रकरण की कोई सूचना व जानकारी प्रस्तुत की गयी है। अतः इस परिरिस्थिति में धारा 47डी आबकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। यदि जप्तशुदा वाहन थाना परिसर में खुले में रखा रहा तो उसकी मशीनरी खराब होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक राहुल पिता राजकुमार विश्वकर्मा निवासी महाराजपुर की ओर से 04,00,000/— रूपये— अंकन **चार लाख** रूपए का सुपुर्दगीनामा पेश किया जाये तो उसे जप्तशुदा एक वाहन हुन्डई एक्सेन्ट कार पंजीयन क्रमांक एम पी 04 केजी 3186 निम्नलिखित शर्तो के अधीन अंतरिम रूप से सुपुर्दगी में प्रदान की जाये। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन व बीमा की आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित प्रति प्रकरण के साथ संलग्नकर उसे मूल दस्तावेज वापस प्रदान किया जावे। 01. आवेदक द्वारा सुपुर्दगीनामा पर प्राप्त किये जा रहे वाहन की विचारण के दौरान आवश्यकता पड़ने पर स्वयं के व्यय पर पेश करेगा। 02. आवेदक सुपुर्दगी पर प्राप्त वाहन के रंग रूप व स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा। 03. आवेदक सुपुर्दगी पर प्राप्त वाहन को विचारण के दौरान किसी को विकय अथवा हस्तातरित नही करेगा। 04. यदि जप्तशुदा वाहन के संबध राजसात कार्यवाही	

Date of order of Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रस्तावित होती है तो वाहन स्वयं के व्यय पर पेश करेगा। केस डायरी थाना देवरी को वापस लौटाई जाये। प्रकरण का परिणाम सीआईएस में दर्ज कर पत्रावली अभियोगपत्र पेश होने पर संलग्न की जावे। 13/10 (सदाशिव वानखेडे) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी **पश्चात–** आदेश के पालन आवेदक/सुपुर्ददार **राहुल पिता राजकुमार विश्वकर्मा उम्र–27 वर्ष पिता महाराजपुर तह देवरी जिला सागर म0प्र0** द्वारा 04,00,000/– अंकन– चार लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा पेश किया गया, सुपुर्दगीदार की पहचान सुपुर्ददार द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड नंबर 690673676613 से एवं अधिवक्ता श्री पवन कुमार मिश्रा के द्वारा की गयी। सुपुर्दगीनामा बाद तस्दीक स्वीकार किया गया। जप्तशुदा एक वाहन हुन्डई एक्सेन्ट कार पंजीयन क्रमांक एम पी 04 केजी 3186 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बावत् थाना प्रभारी देवरी को पत्र जारी हो। (सदाशिव वानखेडे) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी 13/10 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी, जिला सागर (म.प्र.)	आदेश की प्रति प्राप्त राहुल 13/10/22